राजस्व वाद 95/2018
जीसीएमएसम नंबर 2018/00150
गंगाराम वगैरह बनाम् नेमाराम वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 11 हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ व प्रतिवादी संख्या 13 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव संख्या 4818 दिनांक 16.12.2021 के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी गंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेराली का खेत खसरा नंबर 175 रकबा 13.04 बीघा में सें 1.2868 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 100 रकबा 12 बीघा में से 0.9713 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 121 रकबा 23.12 बीघा में से 1.6187 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 बद्रीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 100 रकबा 12 बीघा में से 0.0486 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, तथा खसरा नंबर 128/1 रकबा 0.9712 बीघा सम्पूर्ण रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 जिमनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 26 रकबा 13.15 बीघा में से 1.1332 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादीगण संख्या 4 से 6 कमश रामकुंवार,बस्तीराम व जिमनी पत्नी चेलाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 121 रकबा 23.12 बीघा में से 1.2788 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 मुन्नी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 121 रकबा 23.12 बीघा में से 0.9227 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 4 चुकी देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 100 रकबा 12 बीघा में से 0.9226 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 5 से 11 कमश झणकारी,हुलासी,प्रेम देवी, मुन्नीदेवी ,सरला, कैलाशी, नरेन्द्र के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 175 रकबा 13.04 बीघा में से 0.8499 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसा , खसरा नंबर 26 रकबा 13.15 बीघा में से 1.0926 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
8. मौजा डेरोली का खेत खसरा नंबर 32/210 रकबा 0.8094 हैक्टेयर गैर मुमकिन बाड़ा वादीगण 2 से 6 कमश बद्रीराम,जिमनाराम,रामकुंवार,बस्तीराम,जिमनी के संयुक्त हक बंट कब्जा में रखा गया है।
9. **प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नेमाराम,दली द्वारा मौखिक बंटवाड़ा में कोई भूमि मुतदाविया खेताय में से बंट में नही रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 22/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner